कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>काले हिरण व चिंकारा के शिकार कर अतंराज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का आरोपी रिजवान भोपाल से गिरफ्तार</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**08/26, दिनांक 11.02.2026)**</u>

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. महोदय के निर्देश पर वनमण्डल इंदौर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए किशनगंज जिला इंदौर से वन्यजीवों के मांस की तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 65 कि.ग्रा. (लगभग), 01 नग देसी पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस एवं 01 नग चार पहिया वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्रमांक एम.एच-02-ई.पी.-4223 के साथ भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्यजीव (संरक्षण) 1972 की विभिन्न धाराओं में वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 675/09 दिनांक 03.12.2024 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वन्यजीव मुख्यालय द्वारा इस प्रकरण को अग्रिम विवेचना हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) इकाई इंदौर को हस्तांतरित किया गया। एसटीएसएफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से उक्त आरोपियों एवं इनके गिरोह के विरूद्ध कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये है। जिससे यह पुष्टि होती है कि प्रकरण में लिप्त गिरोह के द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण, चिंकारा एवं सांभर का भारी मात्रा मे शिकार प्रदेश के भीतर व अन्य राज्य में किया गया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फ़ोर्स इकाई इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र से वन्यजीवों का शिकार कर उनके मांस की अंतर्राज्जीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के विरूद्ध प्राप्त नवीन साक्ष्यों के आधार पर एक नया प्रकरण क्रमांक POR No. 237/22 दिनांक 21.08.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

उक्त प्रकरण की विवचेना हेतु पूर्व प्रकरण 675/09 दिनांक 03.12.2024 में गिरफ्तार तीन आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वन्यजीवों के शिकार में प्रयुक्त आग्नेयशास्त्र एवं कारतूस भारी मात्रा में जप्त किये गए थे। उक्त प्रकरण में पूर्व से 05 आरोपी केन्द्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध है।

प्रकरण में फरार वांछित ईनामी आरोपी रिजवान पिता रमजान निवासी छौला रोड भोपाल को दिनांक 03.02.26 को थाना गौतम नगर द्वारा आर्म एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी भोपाल की अनुमति से केन्द्रीय जेल भोपाल में दिनांक 04.02.26 को आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी की गई। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय इंदौर द्वारा दिनांक 04.02.26 जारी प्रोडक्शन वारंट के पालन में दिनांक 06.02.26 को आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहॉ से आरोपी रिजवान को दिनांक 11.02.26 तक फॉरेस्ट रिमांड पर लिया गया, रिमांड के दौरान आरोपी से वन्यजीव अवयव एवं अन्य सामग्री की जप्ती की गई। दिनांक 11.02.26 को माननीय न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया। इस प्रकार प्रकरण में कुल 06 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल